न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नामः—नथमल डिडेल, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्याः—03 / 2021 (14 सिक्योरिटाइजेशन)

आईसीआईसीआई बैंक लिमि. शाखा—स्टॉक एक्सचेंज बिल्डींग मालवीय नगर जयपुर—302017, जरिये प्राधिकृत अधिकारी

——प्रार्थी

बनाम

1. मै. यश ट्रेडिंग कम्पनी प्रो. श्री सतीश कुमार शर्मा पिता श्री हनुमान प्रसाद
   पता—(1)दुकान नं. 13B, नई धान मण्डी पीलीबंगा हनुमानगढ़।
   (2)प्लॉट नं. 166, वधवा कॉलोनी तहसील—पीलीबंगा हनुमानगढ़।

——ऋणी

2. श्री सतीश कुमार शर्मा पिता श्री हनुमान प्रसाद
   पता—(1)वार्ड नं. 03, बिरबल बिहार कॉलोनी, पीलीबंगा हनुमानगढ़।
   (2)प्लॉट नं. 166, वधवा कॉलोनी तहसील—पीलीबंगा हनुमानगढ़।

——सहऋणी

3. श्रीमती अनीता कुमार पुष्कर पत्नी श्री सतीश कुमार शर्मा
   पता—(1)वार्ड नं. 03, बिरबल बिहार कॉलोनी, पीलीबंगा हनुमानगढ़।
   (2)प्लॉट नं. 166, वधवा कॉलोनी तहसील—पीलीबंगा हनुमानगढ़।

——जमानती

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र।

आदेश दिनांकः—01.07.2021

प्रार्थी आईसीआईसीआई बैंक लिमि. शाखा—जयपुर की ओर से श्री बजरंग जाट वकील उपस्थित आये जिनको सुना गया। बैंक के वकील ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी बैंक ने मैसर्स यश ट्रेडिंग कम्पनी प्रो. श्री सतीश कुमार को 13,70,000/—रूपये ऋण सुविधा स्वीकृत की गई थी तथा उक्त ऋण सुविधा मय ब्याज के पुर्न भुगतान की सिक्योरिटी के पेटे अपनी अचल सम्पत्ति श्री सतीश कुमार शर्मा पिता श्री हनुमान प्रसाद के नाम भूमि एवं निर्माण आवासीय संपत्ति प्लॉट नं.—166 जो कि वधवा कॉलोनी पीलीबंगा तहसील—पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 1500 वर्गफिट है, जिसको प्रार्थी बैंक के पास बंधक विलेख निष्पादित कर रहन किया था।

अप्रार्थीगण द्वारा उक्त ऋण को समय पर चुकाने में असफल होने पर उनके ऋण खाता को बैंक के द्वारा नियमानुसार दिनांक 30.08.2019 को अनर्जक परिसम्पत्ति(एनपीए) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया।

अप्रार्थीगण के ऋण खाता संख्या—(672405601625) एनपीए होने पर एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत प्रार्थी आईसीआईसीआई बैंक लिमि. शाखा—जयपुर द्वारा अप्रार्थीगण को

Web Copy - Not Official

दिनांक 05.12.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस भेज कर 60 दिन में ऋण राशि 14,80,618.74/-(रूपये चौदह लाख अस्सी हजार छह सौ अठारा पैसे चौहत्तर मात्र) दिनांक 31.10.2019 तक बकाया रकम व ब्याज की मांग की गई। जो कि अप्रार्थीगण को उक्त नोटिस प्रोपर तामिल नहीं होने के कारण दिनांक 21.01.2020 को दो अखबार(PRATAHKAL & TIMES OF INDIA) में प्रकाशित करवाया गया।

प्राधिकृत अधिकारी ने दिनांक 02.09.2020 को ऋणी व सहऋणी को प्रतिभूमि आस्ति का भौतिक कब्जा शान्ति पूर्ण प्रदान करने का निवेदन किया तो अप्रार्थीगण ने प्रतिभूमि आस्ति का भौतिक कब्जा देने से मना कर दिया तब प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त प्रतिभूति आस्ति का सांकेतिक कब्जा लिया तथा उक्त नोटिस दिनांक 05.09.2020 को दो मुख्य अखबारों क्रमशः हिन्दी में दैनिक नवज्योति व अंग्रेजी में INDIAN EXPRESS में भी प्रकाशित करवाया गया। वकील ने यह भी कथन किया कि बावजूद इसके भी अप्रार्थीगण द्वारा सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नही करवाई गयी व न ही बंधक शुदा सम्पति का सम्पूर्ण वास्तविक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिया गया।

अप्रार्थीगण द्वारा ऋण की सम्पूर्ण राशि बैंक को जमा नही करवाई है। उक्त एक्ट के प्रावधानो के अनुसार प्रार्थी बैंक उपरोक्त वर्णित रहन शुदा सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर शेष देय ऋण राशि वसूल करने का अधिकारी है। उक्त एक्ट की धारा 14 के प्रावधानो के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक को उक्त बंधक शुदा सम्पति का भौतिक कब्जा पुलिस सहायता से दिलाया जावे ताकि अधिनियम के प्रावधानानुसार सम्पति बेचकर बकाया ऋण राशि वसूल की जा सके।

आईसीआईसीआई बैंक लिमि. शाखा–जयपुर के वकील के कथनों पर मनन किया और पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अप्रार्थीगण द्वारा बैंक को ऋण राशि का भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं करने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया जाना पाया गया। इसके पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि की शर्तो के मुताबिक ऋण राशि का भुगतान बैंक को नहीं करने पर The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत शक्तियों के तहत तथा आईसीआईसीआई बैंक लिमि. शाखा–जयपुर के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए प्रार्थी बैंक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त ऋण की सुविधा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बंधक अचल सम्पत्ति श्री सतीश कुमार शर्मा पिता श्री हनुमान प्रसाद के नाम भूमि एवं निर्माण आवासीय संपत्ति प्लॉट नं.–166 जो कि वधवा कॉलोनी पीलीबंगा तहसील–पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 1500 वर्गफिट है, जिसका भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ़ को इस अनुरोध के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी आईसीआईसीआई बैंक लिमि. शाखा–जयपुर को उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्राप्ति हेतु प्रार्थी बैंक द्वारा चाहे अनुसार पुलिस सहायता संबंधित पुलिस थाना के माध्यम से नियमानुसार उपलब्ध करवाई जावे। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ व आईसीआईसीआई बैंक लिमि. शाखा–जयपुर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर की जावे।

आदेश आज दिनांक 01.07.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़